

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना

Content

Time: 90 min

1. निर्देश कमेटी माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 26.01.2017
2. ब्लैक स्पॉटस् को बनने से रोकने व ब्लैक स्पॉटस् के सही निर्धारण के क्रम में, क्रमांक 57136 दिनांक 18.12.2017
3. राजमार्ग गश्ती दल (हाईवे पेट्रोलिंग पार्टियों) का नियोजन, कर्तव्य एवं पर्यवेक्षण, क्रमांक 687 दिनांक 04.04.2014
4. परिपत्र क्रमांक 601-653 दिनांक 28.04.2001
5. खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले चालको के लाईसेंस रद्द (निरस्त) करवाने के संबंध में परिपत्र क्रमांक 957-1019 दिनांक 29.02.2016
6. सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में, क्रमांक 5070 दिनांक 02.09.2016
7. आमजन को दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु प्रेरित करना, क्रमांक 2081 दिनांक 19.05.2015



सत्यमेव जयते

SUPREME COURT COMMITTEE ON ROAD SAFETY

Members : Justice K.S. Radhakrishnan
S. Sundar
Dr. Nishi Mittal

Secretary : S.D. Banga
Tel. No.: +91-11-23060597
Email : roadsafetysc@gmail.com

No.46/CoRS/2014- Vol-II

Dated: 26th May, 2017.

To

Shri Shailendra Agarwal, IAS
Principal Secretary and
Transport Commissioner,
Government of Rajasthan,
Jaipur
Email : transportjaipur14@gmail.com

Sub: Committee on Road Safety- Meeting held on 12th May, 2017 – reg

Sr

The measures taken by you were discussed by the Committee with the State officials in detail in a meeting held on 12th May, 2017.

3. After detailed discussions, the Committee made the following observations and issued following directions to the State:

- The Committee observed that fatalities in the State decreased marginally in 2016 by about 0.4% over 2015 and by about 0.65% in the quarter January – March, 2017 over the corresponding quarter of 2016 and expressed its hope that the declining trend in fatalities will continue. The Committee noted the 'Accident Research Study' Report by JP Research India Private Ltd and observed that the study though limited to Jaipur East district, does not identify all sensitive road segments in the district which require special attention of engineering wing of the concerned road owing agencies or of enforcement agencies. It does not make recommendations on the specific steps to be taken by different wings of the State on certain road segments which should have been identified in the study report. The Committee concluded that the analysis of the accident data is inappropriate. The Committee expressed its concern at the high level of fatalities in the State and directed that the State should analyze the reasons for high levels of road

→

309

(JUDGE BANGA)

- accidents and fatalities in the State and take specific measures to bring about a reduction in fatalities of at least 10 % in 2017.
- ii. The Committee noted that the State has notified its Road Safety Policy in March, 2017 and directed the State to begin implementation of the Policy.
 - iii. The Committee noted that the State Road Safety Council met twice in 2016 and expressed the hope that the Council will continue to meet at least twice a year
 - iv. The Committee noted that the State has constituted a Lead Agency under a Deputy Transport Commissioner with staff working on full time basis.
 - v. The Committee noted the Dedicated Road Safety Fund Regulations, 2017 notified by the State on 3rd April, 2017 and observed that there is no clarity whether the Dedicated Road Safety Fund is lapse-able or non-lapse-able. The Committee directed that the State should ensure that the Dedicated Road Safety Fund is a non lapse-able Fund as desired by the Committee vide its letter No. 16/2016/ CoRS dated 24th November, 2016 (Copy at Annexure I).
 - vi. The Committee noted that the State submitted separate Action Plans prepared by different Departments like Police, Health, PWD, PWD (NH), Urban Development, Local Self Government and RIDCOR and not an integrated Action Plan for the State of Rajasthan. The Committee desired that the State should prepare an integrated Action Plan for the State setting out year wise targets till 2020, the resources required, human and financial, to achieve those targets and the strategy the State proposes to adopt to achieve those targets. A copy of the Action Plan should be sent to the Committee.
 - vii. The Committee noted that all road owning agencies in the State have finalized and issued the Protocol for Black Spots and desired that all road owning agencies in the State should now follow the Protocol finalized by them.
 - viii a) The Committee noted that 624 out of 892 black spots identified in 2016 in the State by nine State agencies, NHAI and MoRTH (PIU) have been rectified and directed that the Lead Agency should monitor these 624 black spots for one year and assess the efficacy of rectification measures taken by concerned agencies and submit a report to the Committee.
 - b) The Committee desired that the status of rectification of the remaining 268 black spots should be sent to the Committee.
 - c) The Committee noted that the Police Department have identified 963 black spots in 2017 and desired that the concerned agencies should take further action as per their Protocol for Black Spots.
 - ix. The Committee directed that a copy of the orders issued by the road owning agencies regarding road safety audit should be sent to the Committee.
 - x. The Committee noted that its directions dated 18.08.2016 and 17.11.2016 regarding suspension of driving licenses for specified traffic violations are not being



strictly implemented. The Committee noted that the State has taken action for suspension of licenses in only about 8.4% cases (9.7 thousand cases recommended for suspensions out of 115 thousand traffic violations detected in first quarter of 2017) and directed the State to strictly implement its directions dated 18.08.2016 and 17.11.2016.

The Committee noted that wearing of helmet was made compulsory for both the two wheeler rider and its pillion rider in October, 2015. The Committee directed the State to strictly implement the Committee's directions.

xii. The Committee noted that on account of low fee prescribed in the Central Motor Vehicle Rules, setting up of automated driving tracks are economically not viable and that the State Government has decided to set up 12 automated driving tracks in 12 RTO offices located in district headquarters from its own funds. The remaining 21 district headquarters will be covered later. The Committee directed the State to fix a timelines for completion of the 12 automated driving tracks and intimate the Committee. The setting up of 12 automated driving tracks should also be included in the Action Plan of the State for 2017 - 18.


xiii. The Committee directed the State to implement its directions dated 11.04.2017 regarding fitment of speed governors in certain categories of existing transport vehicles.

xiv. The Committee noted the action taken by the State for implementing its directions dated 20.03.2017 regarding detention of vehicles not covered by third party insurance and directed that the State should send the quarterly reports on the action taken in the prescribed proforma.

xv. The Committee noted the action taken by the State regarding emergency trauma care and directed the State to indicate what the State proposes to do in 2017-18 for strengthening the emergency trauma care facilities and services.

2. You are requested to kindly take action as advised above and forward a comprehensive compliance report to the Committee in respect of all the directions by 31st July, 2017.

Yours faithfully,



(S.D. Banga)

Secretary to the Committee

Closures: As Above.



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

27
43

क्रमांक प.10 (698) परि/स.सु./2015/पार्ट VI B/ 57136

दिनांक - 19/12/17

- 5195
19/12/17
1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात, राजस्थान, जयपुर।
 2. निदेशक एवं आयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. आयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
 4. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 5. मुख्य अभियन्ता (एन.एच.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 6. मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, एन.एच.ए.आई राजस्थान, जयपुर।
 7. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.सी., जयपुर।
 8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिडकोर, जयपुर।
 9. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, डी.सी.एम., अजमेर रोड, जयपुर।

विषय :- ब्लैक स्पॉट्स को बनने से रोकने व ब्लैक स्पॉट्स के सही निर्धारण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ब्लैक स्पॉट्स परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्ष में 500 मीटर तक की दूरी के क्षेत्र में 5 प्राण घातक/गंभीर किस्म की चोट वाली सड़क दुर्घटनाएँ घटित हुई हों या 10 मौतें हुई हों ब्लैक स्पॉट्स परिभाषा में समाहित होती हैं।

पुलिस विभाग की वर्ष 2016 की सूची के अनुसार राज्य में 892 ब्लैक स्पॉट हैं व वर्ष 2017 की सूची के अनुसार 963 ब्लैक स्पॉट हैं सड़क को ब्लैक स्पॉट बनने से रोकने व ब्लैक स्पॉट निर्धारण की समुचितता में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1. प्राण घातक/गंभीर किस्म की चोट वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं में सम्बन्धित थाना प्रभारी अधिकारी व सम्बन्धित रोड ओपनिंग एजेंसी के अभियन्ता के साथ जाँच करेंगे। यह कौशिश की जावे की उक्त जाँच आयुक्त रूप से होवे।
2. यदि जाँच में सड़क डिजाइन में कमी/रोड फर्निचर की कमी नहीं पाई जाने पर सम्बन्धित थाना अधिकारी उक्त दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पॉट के निर्धारण की गणना में शामिल नहीं करे।
3. यदि जाँच में सड़क डिजाइन में कमी/रोड फर्निचर की कमी पाई जाने पर सम्बन्धित थाना अधिकारी उक्त दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पॉट के निर्धारण की गणना में शामिल करे व सम्बन्धित रोड एजेंसी अभियन्ता द्वारा तुरन्त सड़क सुधार की कार्यवाही सम्पादित करावे।

अतः उपरोक्त निर्देशित बिन्दुओं की प्रालना से राज्य में ब्लैक स्पॉट्स बनने की सम्भावना नगण्य हो जावेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)

प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक प.10 (698) परि/स.सु./2015/पार्ट VI B/ 57136

दिनांक - 19/12/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-


समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ राजस्थान।

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)

प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2017 को ब्लेक स्पॉट एवं सड़कों पर सुरक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

- दिनांक 06.09.2017 को प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ब्लेक स्पॉट एवं सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों (उपस्थिति विवरण संलग्न) द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. ब्लेक स्पॉट निवारण हेतु सम्बन्धित रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सी के सहायक अभियन्ता से अनिम्न स्तर का अधिकारी, क्षेत्र का वृताधिकारी पुलिस तथा सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा ब्लेक स्पॉट का निरीक्षण तय समय सारणी के अनुसार निश्चित दिनांक को किया जावेगा।
2. पुलिस विभाग (यातायात) द्वारा ब्लेक स्पॉट का नाम एवं सम्बन्धित वृताधिकारी का नाम (मोबाइल नं. सहित) की सूची सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग तथा सम्बन्धित रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज को 2 दिवस में उपलब्ध करायी जावेगी।
3. रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज द्वारा पुलिस विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार ब्लेक स्पॉट जिस क्षेत्र में स्थित है, से सम्बन्धित अभियन्ता के नाम एवं मोबाइल नं. की सूची सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जावेगी।
4. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग उपरोक्त ब्लेक स्पॉट का नाम एवं सम्बन्धित एस.एच.ओ. (मोबाइल नं. सहित), सम्बन्धित अभियन्ता के नाम एवं मोबाइल नं. एवं सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी का नाम मोबाइल नं. सहित संयुक्त निरीक्षण हेतु समय सारणी बनाकर सम्बन्धित एस.एच.ओ., रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज, जिला परिवहन अधिकारी को संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रेषित की जावेगी।
5. उक्त समिति द्वारा अपनी संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 15.10.2017 तक सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावेगी।
6. संयुक्त निरीक्षण निम्न प्रकार करेंगे :-
 - 1) निरीक्षण में तीनों अधिकारी संयुक्त रूप से ब्लेक स्पॉट पर जावेंगे।
 - 2) वृताधिकारी, पुलिस विभाग सम्बन्धित दुर्घटना को एफ.आई.आर. मौके पर साथ लेकर जावेंगे।
 - 3) सम्बन्धित रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज के अभियन्ता ब्लेक स्पॉट सूची में वर्णित पुलिस विभाग द्वारा दिये गये सुझाव का अन्वेषण कर तकनीकी दृष्टिकोण से ब्लेक स्पॉट निवारण की उचित कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे।
 - 4) तीनों अधिकारी सम्बन्धित ब्लेक स्पॉट पर टीम की संयुक्त फोटो व ब्लेक स्पॉट की फोटो पृथक से खींचकर रिपोर्ट के साथ संलग्न करेंगे।
 - 5) टीम द्वारा सम्बन्धित एफ.आई.आर. को देखकर यह निर्णय किया जावेगा कि उक्त ब्लेक स्पॉट MoRTH द्वारा दी गयी ब्लेक स्पॉट की परिभाषा (3 वर्ष के अन्दर 500 मीटर सड़क क्षेत्र में दुर्घटना से 10 मीटर या 5 गम्भीर प्राणघातक/गम्भीर चोटिल दुर्घटनाएँ) के अनुसार है अथवा नहीं। यदि उक्त ब्लेक स्पॉट MoRTH परिभाषा के अनुसार नहीं है तो उक्त स्पॉट को Vulnerable एक्सीडेंट स्पॉट के नाम से वर्णित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
 - 6) ब्लेक स्पॉट निवारण का फॉरमेट व टाइम टेबल का निर्धारण सड़क



Obstruction (Traffic)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

277
432

संख्या: 1003/11/स.स./2015/पाठ VI B/ 5/1/32 दिनांक 17/11/15

1. अतिरिक्त महासिदेशक पुलिस यातायात, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं सहायक शासन सचिव, स्थानीय विभाग विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य शासन सचिव, नगरपालिका विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (एन.एच.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, एन.एच.ए.आई राजस्थान, जयपुर।
7. प्रमुख निदेशक, एन.एच.ए.आई.सी.सी., जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिडकॉर, जयपुर।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ई.सी.एम. जयपुर, जयपुर।

विषय :- ब्लैक स्पोट्स को बनाने से रोकने व ब्लैक स्पोट्स के सही निर्धारण के क्रम में।

संदर्भित 'वेब' तर्जमत लेख है कि ब्लैक स्पोट्स परिभाषा के अनुसार सड़क के किनारे 500 मीटर तक की दूरी के क्षेत्र में 5 प्राथमिकता/मोटर फेरिंग की जाये। सड़क दुर्घटना घटित हुई हो या 10 मीटर हुई हो ब्लैक स्पोट्स परिभाषा में शामिल किया जाये।

इस विभाग की वर्ष 2016 की सूची के अनुसार राज्य में 892 ब्लैक स्पोट्स वर्ष 2017 की सूची के अनुसार 963 ब्लैक स्पोट्स हैं। इनके सही निर्धारण के लिए सड़क निर्माण के समयावधि में निम्न निर्देश दिए जाते हैं-

1. प्राथमिकता, मोटर फेरिंग की जाये। जहाँ सड़क दुर्घटना घटित हो सके। यातायात अधिकारी व सन्विकीत एन.एच.ए.आई.सी.सी. के अधिकारी को सूचित कराये। यह कोशिश की जाये की सड़क निर्माण के समय सड़क दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पोट्स के निर्धारण में शामिल नहीं करे।
2. यदि जीव ने सड़क डिजाईन में कमी/खराब डिजाईन की जाये। इस पर सन्विकीत थाप अधिकारी उक्त दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पोट्स के निर्धारण में शामिल नहीं करे।
3. यदि जीव ने सड़क डिजाईन में कमी/खराब डिजाईन की जाये। इस पर सन्विकीत थाप अधिकारी उक्त दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पोट्स के निर्धारण में शामिल करे। सन्विकीत थाप अधिकारी को सूचित कराये।

उक्त निर्देशित किशुओं को पालन से राज्य में ब्लैक स्पोट्स को कम किया जाये।

(शीलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

संख्या: 1003/11/स.स./2015/पाठ VI B/ 5/1/32
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मुख्य सचिव, सड़क परिवहन विकास एवं सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

राम परिवहन आयुक्त (स.स.)

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:-य-2 (2) पु0/याता0/2014/687

दिनांक:-04-04-2014

स्थायी आदेश क्रमांक 07/2014

विषय:- राजमार्ग गश्ती दल (हाईवे पेट्रोलिंग पार्टियों) का नियोजन, कर्तव्य एवं पर्यवेक्षण।

राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों में नियोजित राजमार्ग गश्ती दल (हाईवे पेट्रोलिंग पार्टियों) द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के अधिक्रमण (Supersession) में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।

पेट्रोलिंग पार्टी का कार्य उनके क्षेत्राधिकार की बीट में अपराधों की रोकथाम एवं सड़क मार्गों का प्रयोग करने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना एवं यातायात अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में यातायात को तुरन्त पुनः चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

सामान्यतः राजमार्ग गश्ती दलों द्वारा वाहनों की मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत चैकिंग का कार्य नहीं किया जावेगा परन्तु आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वृत्ताधिकारी के डायरेक्ट सुपरवीजन में ही उक्त चैकिंग की जा सकेगी। ओवरस्पीडिंग एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध संबंधित थानाधिकारी के सुपरवीजन में भी चैकिंग की जा सकेगी, परन्तु यह चैकिंग ब्रेथ अलकोहल एनालाईजर एवं स्पीड रडार गन के साथ ही की जावेगी।

राजमार्ग गश्ती दलों की बीट, गठन, उपकरण एवं आवश्यक सूचनाएँ

1. गश्ती दलों का कार्यक्षेत्र (बीट) पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात) की अनुमति से निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जावेगा। इसी प्रकार प्रत्येक गश्ती दल का उनके कार्यक्षेत्र में एक पुलिस थाने को चिन्हित किया जाकर मुख्यालय निर्धारित किया जावेगा।
2. उक्त मोबाईल वाहनों में गश्ती दल के प्रभारी अपने लिये निर्धारित बीट क्षेत्र में दुर्घटना एवं अपराध नियंत्रण हेतु जिम्मेदार अधिकारी होंगे। प्रत्येक गश्ती दल के वाहन में दो पारियों में गश्तीदल के अधिकारी एवं पुलिस बल कार्य करेंगे। प्रत्येक पारी में एक उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक प्रभारी अधिकारी होगा, जिनके साथ चार पुलिस कानि0 होंगे जो ड्यूटी के दौरान चैकिंग यूनिफार्म पहनें एवं पहचान-पत्र भी साथ रखेंगे। उक्त में से प्रभारी अधिकारी एवं दो पुलिस कानिस्टेबल हथियारबंद रहेंगे। उक्त दल को रात्रि में ड्यूटी के दौरान पहनने हेतु रिफ्लेक्टिंग जैकेट्स उपलब्ध करायी जायेगी।

